दिनांक 29.10.2018 को कैम्पा वार्षिक कार्य योजना 2018–19 की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड की अध्यक्षता में आहुत विभागीय समीक्षा बैठक की कार्यवाही

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड द्वारा कैम्पा से संबन्धित भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में निर्गत अधिसूचनाओं एवं प्रदत्त दिशा–निर्देशों का उल्लेख करते हुए वार्षिक कार्य योजना 2018–19 में स्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन की प्रगति एवं वाँछित सूचनाओं की जानकारी प्रदान की गयी। बताया गया कि वृक्षारोपणों एवं स्थायी पौधशालाओं के समापन एवं संपोषण कार्य व अन्य committed liabilities के लिये माह सितम्बर, 2018 तक की राशि विमुक्त की जा चुकी है। **यह भी सूचित किया गया कि वार्षिक कार्य योजना 2018–19 में कई ऐसी योजनाएँ हैं, जिसकी विस्तृत कार्य योजना समर्पित करने का आग्रह किया गया है, परंतु संबन्धित पदाधिकारियों से वाँछित सूचनाओं के अभाव में राशि विमुक्त करना संभव नहीं हो पा रहा है।**

तत्पश्चात् कैम्पा वार्षिक कार्य योजना 2018–19 में स्वीकृत योजनाओं की प्रगति की समीक्षापरान्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड द्वारा निम्न निदेश दिये गये –

1. कार्य नियोजना –
   (i) **Data collection for making working plans –** कार्य नियोजना बनाने हेतु स्टॉक मैपिंग, वेजीटेशन सर्वे, आदि के साथ–साथ वन प्रमण्डलों की सभी आधारभूत संरचनाओं, वाहनों, वन पथों इत्यादि की सूची तथा उनकी वर्तमान स्थिति तथा उनके संधारण हेतु योजना की विवरणी दर्ज की जाय।

   (ii) **Development & strengthening of forest land record map and database system** – इस योजना में मुख्यतः प्रमण्डलीय स्तर पर वन–भूमि की अधिसूचना तथा डिमारकेशन का प्लाटवार डाटा के साथ–साथ वनभूमि अपयोजन, FRA में वन पट्टो, आदि के लिये विमुक्त वनभूमि को भी दर्ज किया जाय। वैसी वनभूमि, जिनका नक्शा उपलब्ध नहीं है, जो डीमारकेटेड है परंतु अधिसूचित नहीं है, जो अधिसूचित है तथा विभाग के कब्जे में हैं, परंतु डीमारकेटेड नहीं है, इत्यादि भूमियों की विवरणी प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जाय। नियमित प्रारुपकार एवं अमीन की कमी को देखते हुए तत्काल दैनिक मजदूरी पर अच्छे प्रशिक्षित एवम् विश्वासी अमीन/प्रारुपकार के साथ–साथ शिक्षित वनरक्षियों को संबंधित प्रशिक्षण देने के पश्चात अमीन का कार्य लिया जा सकता है। मुख्य वन संरक्षक, प्रशिक्षण, झारखण्ड एतदसंबंधी प्रशिक्षपा की व्यवस्था करेगीं।

   - **Constitution of Forest land Database Cell –** सभी प्रादेशिक अंचलों, मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, राँची, क्षेत्र निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, डालटनगंज, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवम् कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड के कार्यालयों में कुल 16 डाटाबेस सेल का निर्माण किया जाय, जिसके कर्मियों द्वारा प्रमडलों से प्राप्त वन भूमि अभिलेखों का मिलान कर land database तैयार किया जायेगा। "कार्य नियोजना डाटाबेस," "फारेस्ट लैण्ड रिकार्ड डाटाबेस" तथा "फारेस्ट लैण्ड बेस प्रकोष्ठ" हेतु युनिट–कार्यो हेतु प्राक्कलन तथा निकासी व व्ययन पदाधिकारियों की

कार्य–योजना वार विवरणी अधिकतम एक सप्ताह में समर्पित करेगें ताकि राशि विमुक्त की जा सके।

2. जैव विविधता संरक्षण के तहत कार्य –

- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक द्वारा स्वीकृत कार्यों की आवश्यकता आधारित समीक्षा के पश्चात पलामू ब्याघ्र परियोजना की योजनाओं में वन्यप्राणियों पर अनावश्यक दवाब सृजित न होने के उद्देश्य से कतिपय कार्यों में कुछ कटौती अनुमोदित की गयी है। वन्यप्राणियों की संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से पक्का पेट्रोलिंग चौकियों का नवनिर्माण न कर पुरानी चौकियों में आधारभूत सुविधाए उपलब्ध कराते हुए सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।
- हाथी परियोजना, जमशेदपुर व हजारीबाग वन्यप्राणी प्रमंडल के स्वीकृत कार्य यथावत रहेगें।
- वन्य प्राणी उद्वार केन्द्र (Wild Animal Rescue Centre) का स्थापना कार्य राँची वन्यप्राणी प्रमंडल द्वारा कराया जाना है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी इस कार्य के लिये सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन की सूचना एक सप्ताह में उपलब्ध करायेगें।

3. **Awareness generation/study tours on conservation methods and best practices** –

(i) **Organizing study tours for students & youth to forest areas like Dalma, Belta & Netarhat etc. to make them aware about the activities carried out for conservation of forest and wildlife** – वनों एवं वन्यप्राणियों के अध्ययन, संरक्षण एवं संवर्द्धन के प्रति विद्यार्थियों एवं युवाओं को आकर्षित करने हेतु इस कार्यक्रम का विशेष महत्व है। इसके तहत् संबन्धित वन प्रमण्डलों अर्न्तगत स्कूल, कॉलेजों के विद्यार्थियों एवं युवाओं को समीपस्थ प्रमुख वनों में ले जाकर उन्हें वनों एवं वन्यप्राणियों के संबन्ध में जानकारी दी जायेगी।

क्रम सं0	जिला का नाम	भ्रमण स्थल
1	राँची	बायोडार्वसिटी पार्क, राँची
2	हजारीबाग, चतरा एवं रामगढ़	कन्हेरी हिल, रजडेरवा
3	गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा	नेतरहाट
4	बोकारो, धनबाद	पेटरवार
5	मेदनीनगर, लातेहार एवं गढ़वा	बेतला
6	सिंहभूम पूर्वी, सिंहभूम पश्चिमी एवं सरायकेला	दलमा
7.	छुमका	मसानजोर
8	गोड्डा	बायोडार्वसिटी पार्क
9	पाकुड़	उधवा झील
10	देवघर, जामताड़ा	दिगरिया पहाड़, देवघर
11	साहेबगंज	मोती झरना

संबन्धित वन प्रमण्डल पदाधिकारी विद्यार्थियों एवं युवाओं के वन क्षेत्रों के परिभ्रमण के पूर्व संबन्धित थाना को सूचित करेंगे तथा मेडिकल सुविधा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। उप वन संरक्षक, प्रशिक्षण, राँची इसका समन्वय करेंगें, तथा इस कार्य के लिए एक मॉडल प्राक्कलन बनाकर मुख्य वन संरक्षक, प्रशिक्षण के माध्यम से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

कैम्पा तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान एवम् प्रशिक्षण को समर्पित करते हुए उनके निदेशन में समन्वय करेंगें।

(ii) **Publicity for carrying out plantation activities and organizing programmes at State Hqrs. as well as in all the Territorial Divisions on important days –** सभी प्रमण्डलों द्वारा दिनांक 5 दिसम्बर (Wold Soil Day) 2018 को स्कूली छात्रों की एक रैली निकाली जाय। इसमें विश्व वानिकी दिवस (22 मार्च, 2018) को आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के साथ उन विद्यालय के छात्रो तथा जे0एफ0एम0 कमिटी के सदस्यों को शामिल किया जाय जो नदी तट वृक्षारोपण में सम्मिलित थे। इस प्रकार इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह होगा कि विश्व वानिकी दिवस के कार्यक्रम में लोक–भागीदारी की व्यापक पहल की गई थी उसे और सुगठित किया जाय। इसी प्रकार नदी तट वृक्षारोपण में सहभागी छात्रों/व्यक्तियों को कार्य स्थलों पर ले जाकर उनकी दीर्घ–कालिन सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु उपाय/अनुबंध किए जाए।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास उपरोक्त योजना की विवरणी, सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन की सूचना तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की कार्य–योजनावार विवरणी अधिकतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराते हुए आवश्यक कार्यवाई कराएगे ताकि राशि विमुक्त की जा सके।

4. <u>अध्ययन, प्रशिक्षण, परामर्श कार्य (Consultancy) व Capacity Building</u> –

(i) Study on improving elephant habitat in the State with a view to minimise elephant-human conflict

(ii) Capacity building/training of officers of Forest Department at IIM Ranchi/ XLRI Jamshedpur in computer-based MIS and project cycle management

(iii) Consultancy for developing capacity building capsule on effective implementation of JFM in the State

(iv) Study on impact of forest patta grant on forests under FRA

(v) Study on impact of water harvensting struces created under CAMPA

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड उपरोक्त योजनाओं की पूर्ण विवरणी, सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन की सूचना तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की कार्य–योजनावार विवरणी अधिकतम एक सप्ताह में समर्पित कराएगें ताकि राशि विमुक्त कर कार्य प्रारम्भ किया जा सकें।

(vi) **Any other study/consultancy for better management of forests -** दिनांक 23.10.2018 को बैठक में मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, झारखण्ड को ऐसी सभी योजनाएँ, जो आवश्यक हैं पर सम्प्रति कैम्पा वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है, का औचित्य देते हुए एक सम्यक समेकित प्रस्ताव देने का निदेश दिया गया था। उनके द्वारा समर्पित किये गये प्रस्ताव में सुधार की आवश्यकता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण इस मद में प्रस्तावित की जाने वाली सभी योजनाओं की पूर्ण विवरणी, औचित्य व इस वित्तीय वर्ष में सम्पादन कराने की आवश्यकता, सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त

प्राक्कलन की सूचना तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की कार्य–योजनावार विवरणी अधिकतम एक सप्ताह में समर्पित कराएगे ताकि राशि विमुक्त की जा सके।

(vii) **Survey and Research for forest-based nutrition, health & livelihood security Building** – इन योजनाओं का कार्यान्वयन फिलहाल स्थगित रखने का निर्णय लिया गया। क्योंकि अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान द्वारा अनुसंधान प्रस्ताव को व्यापक रुप से संशोधित किया जा रहा है जिससे अनुसंधान प्रस्ताव का प्राक्कलन स्वीकृत APO के विरुद्ध काफी बढ़ जाएगा।

(viii) **Study on plant diversity & market potential of plant products for economic upliftment of native tribals in West Singhum district** – इन योजनाओं का कार्यान्वयन फिलहाल इस वित्तीय वर्ष में कैम्पा मद से नहीं कराने का निर्णय लिया गया।

(ix) **Forest mosaic landscape development for ecosystem services** – IBRAD द्वारा अनुसंधान की कार्य योजना में व्यापक संशोधन किया जा रहा है, अतः इसे फिलहाल स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।

5. <u>वन विकास अभिकरण से संबन्धित योजना</u> –

(i) **Capacity Building of 5000 JFMCs for making Micro Plans**

(ii) **Preparation of 5000 Micro Plans**

- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफ0डी0ए0 द्वारा बताया गया कि अब तक क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकों से 4000 JFMCs/EDCs की सूची प्राप्त हो चुकी है। सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, व मुख्य वन संरक्षक एक सप्ताह में पूर्ण सूचना समर्पित करेगें। माइक्रोप्लान निर्माण हेतु डाटा संग्रह, सामग्री, इत्यादि के लिए राशि का व्यय किया जाएगा। सभी माइक्रोप्लान वन कार्य नियोजना में समाहित होने चाहिए। इसके लिए समयबद्ध कार्यक्रम बना कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना की सहमति से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एफ0 डी0 ए0 माईक्रोप्लान की प्रगति की समीक्षा करेगें। एक सप्ताह में JFMCs की सूची भेज देगें।
- माइक्रोप्लान निर्माण हेतु क्षमता विकास कार्यक्रम के लिए सर्वप्रथम Training of Trainers (TOT) मोड्यूल बनाकर प्रक्षेत्र पदाधिकारी, वनपालों एवम् वरीय वनरक्षियों को प्रशिक्षित किया जायेगा, जो अपने अधीनस्थ/सहभागी वनरक्षियों को प्रशिक्षित करते हुए माईक्रोप्लान निर्माण का अनुश्रवण भी करेगें।
- क्षमता विकास में प्रशिक्षण–सामग्री/उपस्कर, प्रशिक्षण पर आने वाला व्यय (यात्रा, प्रशिक्षण आयोजन, विशेषज्ञों को मानदेय, आदि) के साथ–साथ माइक्रोप्लान निर्माण हेतु संयत्र या उपस्कर जैसे प्रक्षेत्र (Range)/परिसर (Beat) स्तर पर Auger, ph meter, Grain size Chart, Moisture meter, Abney Level, Basal Area Prism, Caliper, Hand magnifier, Increment tree borer, Quadrats, Aquatic D-nots, DBH tap, Level, Measuring Tape, Compass /GPS etc. आदि) का क्रय
- प्रत्येक प्रादेशिक/वन्यप्राणी प्रमण्डल, पदाधिकारी निजी अभिरुचि एवम् बौद्धिक कल्पनाशीलता का प्रयोग करते हुए प्राप्त राशियों से जे0एफ0एम0सी0 के स्थायी क्षमता विकास हेतु कम से कम प्रक्षेत्र स्तर पर ''रिसोर्स सेन्टर की स्थापना हेतु कार्य करेंगें।

- मुख्य वन संरक्षक (प्रशिक्षण) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0डी0ए0) एवम् प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण) के निदेशन में एक सप्ताह के भीतर क्षमता विकास हेतु कार्यक्रम एवम् यूनिट प्राकलन बनाकर प्रस्तुत करेगें तथा इसके लिए विचार भी कर लेगें कि एक यूनिट में जे0एफ0एम0सी0 की संख्या कितनी होगी। इसके आधार पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार विमुक्त की जाने वाली राशियों की विवरणी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0डी0ए0) द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा को दिनांक 12.11.2018 तक उपलब्ध करा दी जायेगी।

6. **Patrolling वाहनों का क्रय** – इस वित्तीय वर्ष में कैम्पा अन्तर्गत विभिन्न प्रमण्डलों के लिये कुल 32 पेट्रोलिंग वाहन क्रय करने की योजना है। इसके लिये एक समेकित प्रस्ताव राज्य की प्रशासी पदवर्ग समिति की सहमति हेतु भेजा जाना है। इसके लिए सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक तथा मुख्य वन संरक्षक कृपया प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के पत्रांक 155 आ.का (प्र.मु.व.सं.) दिनांक 20.10.2018 द्वारा वाँछित सूचनाओं यथा वाहनों की स्थिति, नये वाहन की आवश्यकता इत्यादि एक सप्ताह के भीतर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा को भेजेगें।

7. **Common Facitity Centre (CFC) for processing of Medicinal plants** –

   - मुख्य वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड की अनुपस्थिति में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, मेदिनीनगर द्वारा सूचित किया गया कि दुमका, बोकारो एवं पेटरवार में Medicinal plants Processing Plant का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिये आवश्यक सूचनाओं को एकत्रित किया जा रहा है।
   - मुख्य वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड योजना की पूर्ण विवरणी, सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन की सूचना, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की विवरणी तथा कार्य–योजना वार विवरणी अधिकतम एक सप्ताह में समर्पित करेगें।

8. **Hiring of Tree transplanter machine** - क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची इसके संबन्ध में आवश्यक कार्रवाई अविलम्ब करेगें।

9. **शहरी हरियालीकरण** – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची द्वारा राँची में Hill Greening की योजना बनायी जा रही है। वह इस कार्य के लिए कार्यवार प्राक्कलन दिनांक 05.11.2018 तक बनाकर तकनीकी स्वीकृति सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा को उपलब्ध करा देंगें।

10. **सिल्वीकल्वर ऑपरेशन, प्राकृतिक पुनर्जनन एवं भू–जल संरक्षण कार्य** – हजारीबाग एवं बोकारो रीजन का पूर्ण एवं सिंहभूम रीजन का आंशिक स्थल चयन प्रतिवेदन प्राप्त है, परंतु अन्य रीजन से स्थल चयन प्रतिवेदन सम्प्रति अप्राप्त है। सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक वाँछित स्थल चयन प्रतिवेदन अविलंब समर्पित करेगें।

11. **स्थायी पौधशालाओं के आधारभूत संरचना का विकास** – कैम्पा वार्षिक कार्य योजना 2018–19 में स्थायी पौधशालाओं के आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु रू0 1.00 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त है। इसके तहत् जिन पौधशालाओं में पटवन हेतु पानी की अत्यधिक कमी है, में डीप बोरिंग का प्रस्ताव हेतु पौधशालाओं की सूची एवं वांछित राशि व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन की सूचना शीघ्र समर्पित की जाय। इसके तहत् अतिआवश्यकता होने पर छोटे–मोटे फेंसिंग मरम्मति कार्य को भी लिया जा सकता है।

12. <u>वन सीमा स्तम्भों का निर्माण</u> – प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड द्वारा सूचित किया गया कि तकनीकी कारणवश DGPS survey का टेंडर पूरा नहीं हो सका है। इस स्थिति में इस वित्तीय वर्ष में कुल 45,000 पीलरों का ही DGPS सर्वे एवम् निर्माण किया जा सकता है। निर्णय लिया गया कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मात्र योजना मद से ही सीमा स्तम्भों का निर्माण कराना श्रेयष्कर होगा। इसके लिये प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास सभी तैयारियां शीघ्र करेगें।

13. **<u>CA/PCA Backlog</u>** – हजारीबाग एवं बोकारो रीजन से पूर्ण प्रतिवेदन एवं राँची रीजन से आंशिक प्रतिवेदन प्राप्त है तथा अन्य रीजनों से प्रतिवेदन अप्राप्त है। सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक वाँछित सूचना सहित पूर्ण प्रतिवेदन अविलंब समर्पित करेगें।

14. **<u>क्षतिपूरक / दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण : वैकल्पिक स्थलों का प्रस्ताव</u>** – मात्र हजारीबाग रीजन का ही वैकल्पिक स्थलों से संबन्धित प्रतिवेदन प्राप्त हो सका है तथा अन्य रीजन का प्रतिवेदन सम्प्रति अप्राप्त है। चूँकि सभी रीजन से प्राप्त वैकल्पिक स्थलों का प्रतिवेदन संकलित कर एक साथ भारत सरकार को भेजा जाना है, अतएव सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक वाँछित प्रतिवेदन बगैर किसी विलम्ब के समर्पित करेगें।

15. <u>कैम्पा वार्षिक कार्य योजना 2019–20 निर्माण की प्रगति</u> –

- भारत सरकार द्वारा निदेशित किया गया है कि कैम्पा वार्षिक योजना 2019–20 तैयार कर अविलम्ब समर्पित किया जाना है। अगले वर्ष से इन योजनाओं का संचालन राज्य की बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा इसलिये यह आवश्यक है कि प्रस्तावित योजना का आकार ईकाई–वार तैयार कर लिया जाये ताकि इसे अगले वित्तीय वर्ष के बजट में ससमय शामिल किया जा सके।
- भारत सरकार द्वारा कैम्पा के गजट में अधिसूचित अधिनियम, 2016 व नियमावली, 2018, जिसकी प्रति सभी अधिकारियों को पूर्व में भेजी जा चुकी है, के अनुसार कैम्पा योजनाओं का क्रियान्वयन कार्य नियोजना के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है। साथ ही वन्य प्राणी से सम्बन्धित योजनाएं वन्य प्राणी प्रबंधन योजना अन्तर्गत क्रियान्वित की जायेगी। अतएव अगले वर्ष की कार्य योजना बनाते समय इसका ध्यान रखा जाय।
- सभी सम्बन्धित पदाधिकारी कैम्पा वार्षिक कार्य योजना 2019–20 अधिकतम एक सप्ताह में निश्चित रूप से समर्पित करेगें।

16. **<u>e-Greenwatch Portal पर अपलोडिंग</u>** –

- वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में कैम्पा के सम्पादित कार्यों के e-Greenwatch Portal पर पोलिगॉन्स अपलोडिंग की निर्धारित समय–सीमा समाप्त हो जाने के पश्चात सिर्फ हजारीबाग रीजन से ही अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त है।
- सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सभी मुख्य वन संरक्षक, सम्बन्धित वन संरक्षक एवं सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी कैम्पा कार्यालय पत्रांक 422 दिनांक 22.102018 द्वारा प्रेषित प्रपत्र में सूचनाएँ एक सप्ताह में समर्पित करेंगें कि वर्ष 2016–17 व 2017–18 में कैम्पा अर्न्तगत सभी कार्यों की सूचनाएँ एवं यथालागू पोलिगॉन्स e-Greenwatch Portal पर अपलोड कर दिये गये हैं।

17. <u>वन प्रक्षेत्र कार्यालय–सह–आवासों एवं वनपाल आवासों के प्राक्कलन का निर्माण</u> – कैम्पा वार्षिक योजना 2018–19 में वन प्रक्षेत्र कार्यालय–सह–आवास के 29 व वनपालों के लिये 23 आवासों

का निर्माण कार्य स्वीकृत है पर तकनीकी स्वीकृतियुक्त प्राक्कलन के अभाव में इस योजना का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड को इन भवनों का तकनीकी स्वीकृतियुक्त प्राक्कलन शीघ्र तैयार कराकर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

18. मासिक लेखा का समर्पण – सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक अपने अधीनस्थ वन प्रमण्डलों / अंचलों का मासिक प्रमण्डलीय / अंचलीय लेखा संधारण समयानुसार सुनिश्चित कराकर संसूचित करेंगें।

19. वनभूमि अपयोजन संबन्धी शर्त्तीय अनुपालन : वन्यप्राणी प्रबंधन योजना – वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् अपयोजित वनभूमि के शर्त्तीय अनुपालन में वन्यप्राणी प्रबंधन से सम्बन्धित वन प्रमण्डलों की कुद योजनाएं स्वीकृत हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड इन योजनाओं का अनुमोदन शीघ्र प्रदान करने की कार्यवाई करेगें ताकि राशि विमुक्त की जा सके।

सभी पदाधिकारी यह सुनिश्चित कर लेगें कि कैम्पा वार्षिक योजना 2018–19 में स्वीकृत कार्य (जिसकी विवरणी उनको पूर्व में उपलब्ध करायी जा चुकी है) की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। तत्पश्चात इस आशय की सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा को अविलम्ब समर्पित की जाय ताकि वांछित राशि सम्बन्धित वन प्रमण्डलों के पक्ष में यथाशीघ्र विमुक्त की जा सके।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक : 3995 दिनांक : 05.11.18

प्रतिलिपि : प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सभी) / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सभी) / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक (सभी) / मुख्य वन संरक्षक (सभी) / वन संरक्षक (सभी) / वन प्रमण्डल पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
झारखण्ड, राँची